MRA IN TOUSING The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2429]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2012/अग्रहायण 27, 1934

No. 2429 | NEW DEL

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2012/AGRAHAYANA 27, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2930(अ).—गंगोत्री हिमनद शिवलिंग, थलय सागर, मेरू, भागीरथी-III पर्वत शिखरों से घिरा हुआ एक बड़ा हिमनद है। भागीरथी नदी का उद्गम-स्थल 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख नामक क्षेत्र में चौखंभा पर्वत शिखर के नीचे स्थित गंगोत्री हिमनद है जहां से प्रारंभ होकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने से पूर्व उत्तराखंड प्रांत में गढ़वाल हिमालय के उत्तरकाशी जिले में उत्तर-दक्षिण दिशा में बहती है:

और भागीरथी नदी प्रवासी प्रजातियों सहित जलीय वनस्पति और जीव-जंतुओं से समृद्ध है तथा जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के कारण उनके प्रवास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने से, इस अद्भुत पारिस्थितिकी-प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है;

और नदी पर शुरू हो चुको या प्रस्तावित या कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं और मानव एवं पशु आबादी में लगातार और असाधारण वृद्धि, पारिस्थितिकीय प्रणाली और पर्यावरण पर नृजातिय दबावों में अत्यधिक वृद्धि से नदी के प्रवाह तथा स्वरूप सहित सुकोमल पर्वत परिप्रणालियों को अपूरणीय क्षति हुई है;

और यह निर्णय लिया गया है कि गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के लगभग 100 किलोमीटर लंबे, 4179.59 वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण जल संभरण क्षेत्र को भागीरथी नदी के पर्यावरणीय प्रवाह और पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा; और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 1 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं.का.आ. 1499 (अ) के तहत पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण में एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें जनता को उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराये जाने की तारीख से साठ दिन की अविध के भीतर उन व्यक्तियों से आपित्तयां एवं सुझाव मागे गए थे जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी;

* और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, जनता को 1 जुलाई, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारूप अधिसूचना पर जनता से प्राप्त आपित्तयों और सुझावों पर भली-भांति विचार कर लिया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और उपखंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त श्कियों का प्रयोग करते हुए, गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के लगभग 100 किलोमीटर लंबे, 4179.59 वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण जल संभरण क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कहा जाएगा) घोषित करती है:-

1. पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की सीमाएं- उक्त पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के लगभग 100 किलोमीटर के संपूर्ण जल संभरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला 4179.59 वर्ग किमी. क्षेत्र हैं। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र पूर्व से उत्तर-पश्चिम तक भारत-चीन सीमा का सीमावर्ती क्षेत्र है ।

- (क) पारिस्थितिकी संवेदनशील पूर्व की ओर $31^{\circ}05'46.54''$ उत्तरी अक्षांश एवं $79^{\circ}25'11.65''$ पूर्वी देशान्तर से; उत्तर की ओर $79^{\circ}04'32.21''$ पूर्वी देशान्तर एवं $31^{\circ}27'23.28''$ उत्तरी अक्षांश से; पश्चिम की ओर $30^{\circ}51'03.95''$ उत्तरी अक्षांश एवं $78^{\circ}22'57.78''$ पूर्वी देशांतर से और दक्षिण की ओर $30^{\circ}39'08.09''$ उत्तरी अक्षांश एवं $78^{\circ}31'26.41''$ पूर्वी देशांतर से घिरा हुआ है ।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का सीमा मानचित्र, उप-बेसिन सीमाओं, गोविन्द एवं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं, महत्वपूर्ण स्थानों, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदियों और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की सीमा के चारों किनारों के अक्षांश-देशांतर के साथ इस अधिसूचना के उपाबंध-I के रूप में संलग्न है, और
- (ग) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध 2 के रूप में संलग्न है । उपाबंध-II में दिए गए ग्रामों की सूची को आंचलिक महायोजना बनाते समय राज्य सरकार द्वारा पुनः संशोधित और परिपुष्ट किया जाएगा ।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के लिए आंचिलक महायोजना- (1) राज्य सरकार पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर स्थानीय जनता, विशेषकर महिलाओं, के परामर्श से एक आंचिलक महायोजना बनाएगी और उसे पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

- (2) आंचलिक महायोजना पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, जगरपालिका, राजस्व, लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल संसाधन, बागवानी, पंचायती राज्य, ग्रामीण विकास आदि जैसे राज्य के सभी संबंधित विभागों की सम्यक् भागीदारी से बनाई जाएगी ताकि इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को सिम्मिलित किया जा सके।
- (3) राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई या बनाई जाने वाली सीमा क्षेत्र विकास योजना और किसी भी अन्य योजना को आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा और वह इसका भाग होगी।
- (4) आंचलिक महायोजना में निरावृत्त क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल संभरणों के प्रबंधन, भूमिगत जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए उपबंध किया जाएगा।
- (5) आंचिलिक महायोजना जल संभरण की अवधारणा के आधार पर बनाई जाएगी । इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्दियों और सहायक निर्दियों के किनारों पर किसी प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करके नदी और उसकी सहायक निर्दियों की प्राकृतिक सीमाओं में परिवर्तन का कोई प्रयास नहीं किया जाए ।
- (6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान ग्रामीण बस्तियों, वनों के प्रकारों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उर्वर भूमि, हरित क्षेत्रों, बागान क्षेत्रों, फलोद्यानों, झीलों एवं अन्य जल निकायों को चिन्हित करेगा ।
- (7) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में विभिन्न भवनों, होटलों, रिसोर्ट के निर्माण में क्षेत्र की परंपरागत संकल्पनाओं और वास्तु का पूर्णतया पालन किया जाएगा । आंचलिक महायोजना में उनके लिए विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए जाएंगे ।

- (8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के विकास को ऐसे विनियमित किया जाएगा जिससे कि वहां के वास्तविक निवासियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रभावित किए बिना स्थानीय निवासियों की जरूरतें पूरी हो सकें। तथा उनके जीवन यापन की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल विकास भी सुनिश्चित करेगी।
- (9) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के लिए आंचलिक महायोजना का निर्माण और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन लंबित रहने तक निगरानी समिति सभी नए निर्माण और अन्य विकास क्रियाकलापों के मामले अधिसूचना के पैरा 4 के उपपैरा (4) के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट होंगे।
- (10) आंचलिक महायोजना में पर्यटन, तीर्थ यात्रा और स्थानीय उपयोग के लिए पैदल मार्गों के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा ।
- (11) निगरानी समिति द्वारा, छूट दिए जाने पर विचार करने सहित लिये जाने वाले किसी भी निर्णय के लिए आंचलिक महायोजना एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।
- (12) आंचलिक महायोजना में गैर हरित उपयोगों के लिए हरित उपयोगों जैसे उद्यान क्षेत्रों, कृषि-भूमि, चाय बागानों, उद्यानों और अन्य जैसे स्थानों पर भूमि का उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा । तथापि, विद्यमान स्थानीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के कारण स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से कृषि भूमि के अत्यधिक सीमित परिवर्तन की अनुमति होगी।
- (13) 5000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी मानव आवास क्षेत्रों में क्षेत्र विकास योजना होगी और वह स्थानीय स्वशासन के मार्ग निर्देशों के अनुसार तैयार होगी ।
- (14) हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई परिणामिक कटौती नहीं की जाएगी।

(15) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अन्य उपाय यदि वह आवश्यक हों विनिर्दिष्ट करेगी और उसको इस अधिसूचना के उपबंधों से प्रभाव देगी ।

(16) पहाड़ी ढ़लानों का विकास और संरक्षण :

- (i) आंचलिक महायोजना पर्वतीय ढालों पर उन क्षेत्रों को इंगित करेगा जहां विकास अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;
- (ii) उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात किए गए ऐसे क्षेत्रों में कोई विकास नहीं किया जाएगा जिनमें तीव ढलान है या जो 'फॉल्ट' या परिसंकटमय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं अथवा जो झरना-मार्गों और पहले दर्जे के प्रवाहों में हैं या जहां अत्यधिक मात्रा में क्षरण होता है;
- (iii) विद्यमान तीव्र पहाड़ी ढ़लानों वाले या अत्यधिक मात्रा में क्षरण वाले ढलानों पर किसी विकास की अनुमित नहीं दी जाएगी ।
 - (iv) पर्यटक सैरगाह और वाणिज्यिक परिसर उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे जहां अधिशेष पानी और बिजली उपलब्ध हो जिससे कि विद्यमान प्रयोक्ताओं से पूर्व-परामर्श के-बिना उनके अधिकार प्रभावित न हों ।
 - (v) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित जिन स्थानों में पहाड़ों के कटाव से पारिस्थितिकी को नुकसान होता है और द्वलान अस्थिर होते हैं उनमें नुकसान से बचने के लिए कटाव के लिए समुचित उपाय किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना में "तीव्र पहाड़ी, ढलान" से 20° या अधिक के ढ़लान वाला कोई पहाड़ी ढलान अभिप्रेत है । (17) प्राकृतिक झरने-आंचलिक महायोजना में सभी झरनों के जल ग्रहण क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे और उनके संरक्षण सूख चुके झरनों को उनकी प्राकृतिक स्थिति में लाने के लिए उनका नवीकरण करने के लिए योजनाएं सम्मिलित की जाएंगी और राज्य सरकार इन क्षेत्रों में या इनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े दिशानिर्देश तैयार करेंगी;

(18) पर्यटन-

- (i) पर्यटन क्रियाकलाप, उत्तराखंड राज्य सरकार के पर्यटन बिभाग द्वारा बनाई जाने वाली पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे;
- (ii) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के संघटक के रूप में होगी और पारिस्थितिक संवेदनशील परिक्षेत्र के धारक क्षमता अध्ययन के ब्यौरों पर आधारित होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा ।
- (iii) सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों पर्यटन के विकास या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की अनुमित इस पर्यटन महायोजना के मानदंडों के भीतर अनुज्ञात होगी।
- (iv) धारक क्षमता अध्ययन विद्यमान अवसंरचनाओं के आधार पर किया जायेगा, न कि किसी ऐसी परियोजना के भावी प्रक्षेपण के आधार पर जिसके लिए पर्यावरणीय या वन स्वीकृति लेना आवश्यक हो ।
- (v) आंचलिक महायोजना के अनुमोदन होने तक निंगरानी समिति द्वारा पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की अनुमित विस्तृत जांच के उपरांत ही दी जाएगी और वह इस बारे में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगी।

- (19) पर्वतीय सड़कें पर्वतीय सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाये जाएंगे और आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किए जाएंगे; अर्थात् :-
 - (i) 5 कि.मी. लंबाई से अधिक के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में बिना तारकोल की सड़कों समेत किसी सड़क का निर्माण (विद्यमान सड़कों के विस्तारण या चौड़ीकरण समेत);
 - (ii) सड़कों को काटने, नालों के आर-पार निर्माण करने और पुलियाएं बनाने के फलस्वरूप होने वाली पहाड़ी ढलानों की अस्थिरताओं के उपचार के लिए सड़कों के डिजाईन में जैव अभियांत्रिकी और अन्य उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करके और इन उपायों पर आने वाली लागत को प्रस्तावित सड़क के लागत अनुमान में शामिल करने के उपबंध किये जायेंगे;
 - (iii) मलबे को खड्डों या ढलानों के नीचे नहीं डाला जाएगा बल्कि सड़कों के निर्माण में उपयोग किया जाएगा तथा अप्रयुक्त मलबे का उपयुक्त और चिन्हित स्थानों पर उचित रीति से निपटान करने के लिए भी उपबंध किए ज़ाएंगे जिससे कि उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा मलबे का उपचार और भूदृश्य निर्माण जैव इंजीनियरिंग और अन्य उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करके किया जाएगा और ऐसे उपायों की लागत को प्रस्तावित सड़क के लागत अनुमान में सिम्मिलत किया जाएगा;
 - (iv) सभी सड़कों के किनारे पर्याप्त संख्या में नाले बनाये जाएंगे और निपटान को बहाने के लिए इन नालों को रुकावट से मुक्त रखा जाएगा तथा सड़क के किनारे के नालों से होने वाले बहाव को प्राकृतिक निकास प्रणाली से जोड़ा जाएगा;
 - (v) वानस्पतिक आच्छादन की हानि को कम करने के लिए संरेखण का चयन किया जाएगा ;

- (vi) सड़क की डिजाइन बनाते समय कटाव और भरण के वृहद संतुलन तथा अनावश्यक कटाव से बचने सहित उचित डिजाइन मानकों का अनुपालन किया जाएगा ।
- (vii) सड़कों के किनारे स्थित सभी 'फॉल्ट' क्षेत्रों और भू-स्खलन वाले क्षेत्रों के बारे में इन क्षेत्रों के प्रारंभ और समाप्ति को दर्शाते हुए सूचना दी जायेगी।
- (20) प्राकृतिक विरासत स्थल पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में स्थित मूल्यवान प्राकृतिक विरासतों के स्थानों, विशेषतया स्थलीय प्राकृतिक सुंदरता, निदयों के संगम बिंदुओं, झरनों, तालाबों, झीलों, दरों, उपवनों, कंदराओं, खुले क्षेत्रों, काष्ठ क्षेत्रों, शिखरों, विहार-स्थलों, सैर, अश्व पथों आदि को अभिज्ञात किया जायेगा उनकी प्राकृतिक अवस्था में ही उनके संरक्षण की योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा । पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के सभी जीन पूल संरक्षित क्षेत्रों को संरक्षित किया जायेगा । राज्य सरकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर उनके संरक्षण और सुरक्षा की समृचित योजना बनायेगी । ये योजनाएं आंचलिक महायोजना का भाग होंगी । विरासत-स्थलों के आस-पास निर्माण कार्यों और अन्य कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिशानिदेंश और विनियम बनाये जाएंगे तािक विरासत स्थलों व क्षेत्र का विशिष्ट स्वरूप एवं अद्भुत परिवेश बरकरार रहे।
- (21) मानव निर्मित विरासत स्थल- इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐतिहासिक या पुरातत्व या सौंदर्य परख या सांस्कृतिक या पर्यावरणीय महत्व के भवन, संरचनाएं, शिल्प तथ्य, मंदिर, सड़कें, क्षेत्र और अहाते अभिज्ञात किये जाएंगे तथा उनके संरक्षण की योजना बनायी जाएगी और उसे आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा । विरासत-स्थलों के आस-पास निर्माण कार्यों और अन्य कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश और विनियम बनाये जाएंगे तािक विरासत स्थलों व क्षेत्र का विशिष्ट स्वरूप एवं अन्द्रुत परिवेश बरकरार रहे।

- 3. पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में प्रतिषिद्ध, विनियमित या अनुज्ञात किए जाने वाले क्रियाकलाप-
 - (क) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप करना: पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध होंगे :
 - (i) नदी घाटी परियोजनाएं: गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी और सभी उपनिदयों पर नए जल विद्युत संयंत्रों (बांध, नहरों और जलाशयों का निर्माण) की स्थापना और विद्यमान संयंत्रों का विस्तार करना, सिवाय ग्राम सभा की सहमित और अन्य अपेक्षित अनापितयों के अधीन रहते हुए, सूक्ष्म या लघु जल विद्युत परियोजनाओं के, जिससे स्थानीय समुदायों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ;
 - (ii) किन्ही नए औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नदी के जल का निष्कर्षण ;
 - (iii) खिनजों का खनन और पत्थर उत्खनन और क्रिसंग: सभी प्रकार के खिनजों का खनन (सूक्ष्म और वृहद खिनज) पत्थर उत्खनन और क्रिशंग सिवाए स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सीमित खनन, पत्थर उत्खन्न और क्रिशंग स्थल मूल्यांकन पर आधारित होगा परंतु ऐसे क्रियाकलाप विद्यमान तीव्र पहाड़ी ढलानों या कटाव के उच्च श्रेणी, झरनों, भूमि जल के पुनः संभरण क्षेत्रों के साथ के क्षेत्रों पर नहीं होंगे। मानीटरी सिमिति को ऐसी विशेष अनुज्ञा प्रदत्त करने का अधिकार होगा।
 - टिप्पण: वास्तविक स्थानीय निवासियों से उक्त क्षेत्र का वह निवासी अभिप्रेत है जो अपने अवयस्क बच्चों के साथ बिना किसी व्यवधान की अविध के उस क्षेत्र में निवास करता है और जो इस अधिसूचना की तारीख पर निर्वाचन सूची में है।

- (iv) पेड़ों की वाणिज्यिक कटाई : पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में पेड़ों की वाणिज्यिक कटाई और कोई काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना, सिवाय ग्राम सभा की सहमित और सभी अन्य अपेक्षित अनापितयों के अधीन रहते हुए स्थानीय क्रियाकलापों और जीवन यापन जिसमें काष्ठ संग्रहण, कुटीर उद्योग जैसे बांस की टोकरी भी है ;
- (v) आरा मशीनों की स्थापना;
- (vi) जलाने की लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग;
- (vii) प्रदूषणकारी उद्योग: कोई नया अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग और विद्यमान ऐसे उद्योगों का विस्तार;
- (viii) मल जल और औद्योगिक बहिस्राव: अनुपचारित मल जल और औद्योगिक बहिस्राव का निकास । तथापि जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले उपचारित मल जल और औद्योगिक बहिस्रावों की अनुमित दी जायेगी;
- (ix) प्लास्टिक के सामान ले जाने वाले थैलों का उपयोग: दुकानों, वाणिज्यिक स्थापनों, पर्यटन स्थलों आदि में प्लास्टिक थैलियों का उपयोग तथा गैर जैव अक्रमणीय आद्यानों में बेचने वाले विनिर्माता, थोक विक्रेता, वितरक, फुटकर विक्रेता आदि अपने आद्यानों तथा/या पैकेजिंग में पुन: खरीद तथा पुन: चक्रण के लिए एक योजना को लागू करेंगे;
- (x) परिसंकटमय अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाईयां: उद्योग परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रसंस्करण समय समय पर यथा संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1989 में यथा उपबंधित रीति में करेंगे;

- (ख) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में विनियमित क्रियाकलाप-विद्यमान अधिनियमों और नियमों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में निम्नलिखित क्रियाकलाप विनियमित होंगे।
- (i) जल-(1) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल भूमि के वास्तविक अधिभोगी की कृषि और घरेलू उपभोग के लिए ही अनुमित होगी तथा राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाए भूमिगत जल की विक्रय की अनुमित नहीं होगी; (2) कृषि समेत जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
- (ii) पेड़-पेड़ों की कटाई या तो वनों में सरकारी राजस्व या निजी भूमि, वन भूमि की दशा में राज्य सरकार की पूर्व अनुमित के बिना और सरकारी, राजस्व और निजी भूमि की दशा में संबंधित जिला कलक्टर, राज्य सरकार द्वारा अधिकथित ऐसी रीति में अनुज्ञात होगी;
- (iii) रक्षा स्थापनों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई अन्य अवसंरचनात्मक विकास;
- (iv) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में चीड़ पेड़ों का रोपण;
- (v) विदेषज प्रजातियों का लगाना;
- (vi) हींटलों और रिसोटों की स्थापना;
- (vii) विद्युत केबलों का उत्थापन;
- (viii) कृषि प्रणाली में तीव्र परिवर्तन;
- (ix) साइन बोर्ड और होर्डिंग;

- (x) ध्विन प्रदूषण-वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, उत्तराखंड पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में ध्विन नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक रिद्धांत और विनियम बनाने के लिए प्राधिकारी होगा।
- (xi) वायु प्रदूषण-वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, उत्तराखंड पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में वायु नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने के लिए प्राधिकारी होगा।
- (xii) **बहिसावों का निर्गमन**-उपचारित बहिसाव जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।
- (xiii) जल विद्युत संयंत्र-विद्यमान जल विद्युत परियोजनाओं का प्रचालन कठोर पर्यावरणीय अनुपालन और सामाजिक संपरीक्षण के साथ जारी रहेगा;
- (xiv) ठोस अपशिष्ट-(1) पारिरियतिकी संवेदनशील क्षेत्र से बाहर ले जाने को ठोस अपशिष्ट का निपटान केन्द्रीय रारकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना संख्यांक का.आ.908(अ) तारीख 25 रितंबर, 2000 द्वारा जारी किए गए नगरीय निकाय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
 - (2) मानीटरी रामिति समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना रांख्यांक का.आ.594(अ) तारीख 28 जुलाई, 1989 द्वारा जारी परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1989 के उपबंधों के अनुसार ठोरा अपशिष्टों के निपटान के लिए उनके रथलों की पहचान और उनका निर्माण करेगी;

- (3) स्थानीय प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट के जैव अपघटनीय और गैर जैव अपघटनीय अवयवों में पृथककरण के लिए योजना बनाएंगे ।
- (4) जैव अपघटनीय सामग्री का अधिमानतः कंपोस्ट या कृमिसंवर्धन द्वारा पुनर्चक्रण किया जा सकेगा;
- (5) अकार्बनिक सामग्री चिन्हित स्थल पर पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में निपटान की जा सकेगी;
- (xv) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र से बाहर ले जाने को जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटान केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना रांख्यांक का.आ.630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा जारी किए गए जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (xvi) यान यातायात- यातायात के वाहनों की आवा-जाही विनियमित होगी और आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध निर्धारित किए जाएंगे । मानीटरी समिति की आंचलिक महायोजना की तैयारी लंबित रहने और इसका अनुमोदन पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के लंबित रहने के दौरान पारिस्थितिकीं संवेदनशील क्षेत्र के भीतर यातायात को विनियमित करने की शक्ति होगी;
- (xvii) गंगोत्री और गौमुख के बीच पर्वतारोहण ।
- (ग) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रोत्साहन दिया जाएगा -
 - (i) वर्षा जल संचयन;
 - (ii) कार्बनिक खेती;

- (iii), हरित प्रौद्योगिकी;
- (iv) भ्रमण पर्यटन;
- (v) स्थानीय उपयोग के लिए सूक्ष्म जल परियोजनाएं;
- (vi) स्थानीय उपयोग के लिए सौर ऊर्जा;
- (vii) स्थानीय जैव संसाधनों पर आधारित उद्योग ।


4. मानीटरी समिति-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन किया जाता है।
- (2) मानीटरी सिमिति में (क) दस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, (ख) मानीटरी सिमिति का अध्यक्ष सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मामलों की समझ रखने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :--
 - (i) भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
 - (ii) भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले पर्यावरण (विरासत संरक्षण समेत) के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि;
 - (iii) सदस्य सचिव, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखंड;
 - (iv) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार;
 - (v) मुख्य वन संरक्षक, गढवाल;
 - (vi) राज्य सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि;

- (vii) पर्यावरण और पारिस्थितिक विज्ञान के क्षेत्र में एक विषय विशेषज्ञ;
- (viii) जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी-सदस्य सचिव ।
- (3) मानीटरी समिति की बैठक त्रैमासिक आयोजित होगी।
- (4) वे क्रियाकलाप जिनमें पूर्व अनुज्ञा या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो समय-समय पर यथासंशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, तारीख 14 सितंबर, 2006 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमित देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
- (5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार पर अपेक्षाओं के आधार पर अपने विचार विमर्श में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संघों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य सचिव, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायतें दायर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
- (7) मानीटरी सिमिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक की गई अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी सिमिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा।
- (8) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्वंधित होंगे।

[फा. सं. 25/3/2010-आरई] हॉ. जी.वी. सुब्रहम्णयम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-क पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के मानचित्र में प्रदर्शित उपघाटी सीमाओं, गोबिन्द और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सीमा, महत्वपूर्ण स्थान भगीरथी नदी की मुख्य उप नदियां और चार बाहरी आक्षांश और देशांतर



उपाबंध II पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड में ग्रामों की अवस्थिति

म सं.	ग्राम/ शहर का नाम	ऊंचाई (मी.)	क्षेत्र (हे.)	अक्षांश	देशांतर
	अगोड़ा	2428	214.09	30° 51′ 13.2"	78° 29′ 45.6"
	अलेथ	1785	99.59	30° 41′ 12"	78° 29′ 16.2"
	बागोरी	2762	83.98	31° 2′ 51.6"	78° 45′ 7.2"
	बाग्याल गांव	1558	91.85	30° 44′ 30.6″	78° 26′ 37.2"
	बंदरानी	1599	61.79	30° 48′ 39"	78° 37′ 9"
	बरसू	2154	144.6	30° 50′ 51.6"	78° 36′ 45"
	बयाना	2003	133.99	30° 44′ 13.8"	78° 33′ 51"
	भांगेली	2016	160.37	30° 55′ 15″	78° 40′ 46.8"
	भांकोली	2155	213.93	30° 50′ 54"	78° 28′ 22.8″
).	भटवारी	1649	327.28	30° 47′ 51.6"	78° 37′ 9.6"
,. I .	भेला टिपरी	1639	63.18	30° 46′ 55.8"	78° 37′ 19.2"
ı. 2.	भूतकी	2436	96.52	30° 51′ 55.8"	78° 40′ 1.2"
	बाँगा	1327	100.05	30° 42′ 39"	78° 26′ 45"
3. 	बोंगारी	1694	54.03	30° 42′ 35.4"	78° 28′ 47.4"
4. 		2413	92.06	30° 51′ 4.2"	78° 29′ 2.4"
5.	डंडालका 	2640	68.99	30° 51′ 22.2"	78° 28′ 34.8"
6.	डांसरा		113.7	30° 41′ 24.6"	78° 28′ 32.4"
7.	धानपुर	1833	99.98	31° 2′ 34.2"	78° 46′ 49.8"
18.	धराली	2485		30° 47′ 49.2"	78° 36′ 32.4"
19.	धवरी	1799	94.33		78° 33′ 29.4"
20.	डिडसारी	1555	173.11	30° 44′ 51.6"	10 33 23.4

					<u></u>
21.	डोवाह	1744	305.77	30° 41′ 33"	78° 27′ 34.2"
22.	गजीली	1720	126.67	30° 50′ 31.8"	78° 26′ 52.2"
23.	गंगोत्री	3008	71.81	30° 59′ 41.4″	78° 56′ 18"
24.	गवाना	1316	131.94	30° 45′ 38.4"	78° 28′ 10.2"
25.	गोरशाली	1962	183.29	30° 47′ 13.8"	78° 36′ 6.6"
26.	ग्यांजा	1997	93.6	30° 45′ 21"	78° 25′ 10.2"
27.	हिचा	1455	256.56	30° 44′ 36.6"	78° 30′ 41.4"
28.	हुरी	2453	140.49	30° 54′ 4.2"	78° 41′ 19.2"
29.	जादूंग	4373	72	31° 9′ 33.6"	79° 2′ 25.8"
30.	जखोल	1927	101.78	30° 46′ 13.2″	78° 34′ 36.6"
31.	जमाक	1428	203.4	30° 44′ 10.8"	78° 31′ 60"
32.	जसपुर	2649	134.58	30° 43′ 52.8"	78° 27′ 21"
33.	झाला	2459	66.05	31° 2′ 2.4"	78° 42′ 58.8"
34.	जोडाव	2224	228.71	30° 45′ 10.2"	78° 40′ 3.6"
35.	जोकानी :	1718	54.53	30° 46′ 44.4"	78° 35′ 59.4"
36.	जोशियास	1423	217.91	30° 44′ 4.8″	78° 26′ 28.2"
37.	कमार	1993	85.78	30° 42′ 24.6"	-78° 32′ 25.8″
38.	कनाथ	1779	130.42	30° 45′ 7.8"	78° 32′ 23.4"
39.	कंकरारी	1764	60.91	30° 42′ 21"	78° 28′ 55.2"
40.	किशनपुर	1725	154.5	30° 41′ 28.2″	78° 30′ 0.6"
41.	कोटियाल गांव	1454	162.52	30° 43′ 0.6"	78° 25′ 52.2"
42.	कुमाल्टी	1466	77.69	30° 46′ 11.4"	78° 35′ 58.8"
			- 		

43.	कुज़न	2060	143.4	30° 51′ 27"	78° 38′ 22.2"
44.	कुरोली	1804	59.23	30° 42′ 48.6"	78° 28′ 46.8"
45.	क्यांक	2007	149.4	30° 49′ 25.2"	78° 37′ 31.8"
46.	लडारी	1111	117.9	30° 43′ 27.6"	78° 26′ 25.8"
47.	लता	1536	163.08	30° 46′ 34.8"	. 78° 36′ 24″
48.	मल्ला	1727	96.97	30° 47′ 24"	78° 36′ 42.6"
49.	मांडो	1220	139.95	30° 44′ 17.4"	78° 27′ 31.8"
50.	मनेरी	1519	95.63	30° 44′ 40.8″	78° 32′ 25.8"
51.	मनपुर	1578	167.52	30° 41′ 50.4″	78° 29′ 1.2"
52.	मसतारी	1705	83.52	30° 42′ 49.8"	78° 27′ 57.6"
53.	<u>म</u> ुखावा	2925	213.31	31° 3′ 2.4"	78° 47′ 25.2"
54.	नालदा उर्फ बोदहर	1672	290.44	30° 46′ 13.8"	78° 27′ 51"
55.	नातिन	2035	72.86	30° 48′ 18"	78° 36′ 10.8″
56.	नौगांव	2075	123.19	30° 51′ 33"	78° 26′ 54"
57.	नालंग	4254	67.24	31° 5′ 36"	79° 0′ 51"
58.	नेताला	1277	290.7	30° 44′ 60"	78° 29′ 18″
59.	निराकोट	1615	153.97	30° 43′ 55.2"	78° 28′ 11.4"
60.	नेसमोर	2253	263	30° 47′ 42"	78° 24′ 31.8"
61.	ओंगी	1538	113.55	30° 45′ 12.6"	78° 33′ 3.6"
62.	पाही	2331	3.88	30° 47′ 55.2"	78° 35′ 46.2"
J	<u> </u>		<u> </u>		

63	पाला मराडी	1727	304.37	30° 50′ 27"	78° 37′ 34.2"
64.	, पाटा	1338	80.93	30° 44′ 50.4"	78° 26′ 53.4"
65.	पिलांग	2040	122.42	30° 46′ 8.4"	78° 40° 2.4"
66.	पुराली	2460	155.07	31° 2′ 25.8"	78° 42′ 51.6"
67.	रैथल	1720	132.34	30° 49′ 9.6"	78° 36′ 55.2"
68.	सल्ड उर्फ माजा गांव	1970	118.94	30° 45′ 44.4"	78° 25′ 8.4"
69.	सांज	1579	176.77	30° 46′ 1.2"	78° 35′ 14.4"
70.	सालांग	1794	158.21	30° 50′ 36"	78° 38′ 15.6"
71.	सालू	1864	89.75	30° 44′ 45"	78° 35′ 42"
72.	सगरेली	1812	51.26	30° 44′ 42"	78° 26′ 10.8"
73.	सारा	1424	63.82	30° 42′ 0.6"	78° 28′ 33.6"
74	साराग	1328	61.68	30° 42′ 22.2"	78° 27′ 46.2"
75.	सारी	1909	72.99	30° 45´ 25.2"	78° 36′ 14.4"
76.	सौरा	1467	150.67	30° 45′ 42.6"	78° 35′ 45"
77.	सीकू	1905	217.58	30° 50′ 10.8″	78° 27′ 45"
78. ·	सिल्ला	1766	111.6	30° 46′ 13.8"	78° 38′ 22.8″
79.	सिल्यान	1509	55.47	30° 43′ 37.8"	78° 27′ 33"
80.	सिरोर	1363	268.62	30° 44′ 49.8"	78° 28′ 42.6"
81.	सुक्की	2642	105.98	31° 0′ 39"	78° 42′ 44.4"
82.	सुंगर	1993	62.88	30° 53′ 43.2"	78° 40′ 44.4"
83.	स्यावा	2145	88.25	30° 43′ 58.2"	78° 35′ 5.4"

1481	87.34	30° 42′ 13.8"	78° 28′ 7.8"
1884	150.24	30° 51′ 59.4"	78° 39′ 7.8"
1099	60.4	30° 43′ 43.2"	78° 26′ 52.2"
1241	#N/A	30° 44′ 00.92"	78° 26′ 21.4I"
1290	131.7	30° 47′ 20.4"	78° 26′ 46.8"
	1884	1884 150.24 1099 60.4 1241 #N/A	1884 150.24 30° 51′ 59.4" 1099 60.4 30° 43′ 43.2" 1241 #N/A 30° 44′ 00.92"

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2012

S.O. 2930(E).—Whereas, the Gangotri glacier is one of the largest glaciers surrounded by Shivling, Thalay Sagar, Meru, Bhagirathi-III peaks. The river Bhagirathi originates from Gangotri glacier below Chaukhamba peak in an area called Gaumukh at an elevation of 3892 meters and flows north-south in the Uttarkashi district of Garhwal Himalaya in Uttarakhand province before meeting the Alakhnanda river at Devprayag;

AND WHEREAS, the river Bhagirathi is rich in aquatic flora and fauna including migratory species and any hindrance in their migration due to construction of hydropower projects may adversely affect this unique ecosystem;

AND WHEREAS, a number of hydro power projects have been commissioned or proposed or under implementation on the river and also continuous and phenomenal increase in the human and cattle population, the anthropogenic pressure on ecosystems and environment has tremendously increased, causing irreparable damage to the fragile mountain ecosystems including flow and character of the river;

AND WHEREAS, it has been decided that for the maintenance of environmental flow and ecology of the river Bhagirathi from Gaumukh to Uttarkashi with a total area of 4179.59 square kilometers covering the entire watershed of about 100km stretch of the

river Bhagirathi shall be declared as an Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, a draft notification under sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of action 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1499(E), dated the 1st July, 2011, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 1st July, 2011;

AND WHEREAS, all objections and suggestions received in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act. 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies entire watershed of about 100 kilometers stretch of the river Bhagirathi from Gaumukh to Uttarkashi covering an area of 4179.59 square kilometers as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone):-

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone.- The said Eco-sensitive Zone is the entire watershed of about 100 kilometers stretch of the river Bhagirathi from Gaumukh

to Uttarkashi covering an area of 4179.59 square kilometers. The Eco-sensitive Zone abets the Indo China border from East to North West.

- The Eco-sensitive Zone is bounded by 31°05'46.54"N latitude and 79°25'11.65"E longitude towards east; 79°04'32.21"E longitude and 31°27'23.28"N latitude towards north; 30°51'03.95"N latitude and 78°22'57.78"E longitude towards west and 30°39'08.09"N latitude and 78°31'26.41"E longitude towards south.
- (b) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with sub-basin boundaries, Govind and Gangotri National Parks boundaries, important places, major tributaries of Bhagirathi river, and latitude-longitude of four extremes of the Eco-sensitive Zone boundary is appended with this notification as Annexure I and
- (c) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure II. The list of villages given in Annexure-II shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.
- 2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) For the purpose of the Eco-sensitive Zone the State Government shall prepare in consultation with local people particularly women a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and the same shall be approved by the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

- (2) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments of Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal, Revenue, Public Works Department, Environment Protection and Pollution Control Board, Water Resources, Horticulture, Panchayati Raj, Rural Development etc. for integrating environmental and ecological considerations into it.
- (3) The border area development plan and any other plans prepared or to be prepared by the State or Central Government shall be integrated and form part of the Zonal Master Plan.
- (4) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (5) The Zonal Master Plan shall be prepared based on watershed approach. It shall also ensure that there is no attempt to tamper with the natural boundaries of the river and tributaries through the construction of any kind of structures on the banks of the river and tributaries.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (7) The construction of various buildings, hotels, resorts in the Eco-sensitive

 Zone shall strictly follow the traditional concepts and architecture of the

- area. Specific guidelines shall be laid down for the same in the Zonal Master Plan.
- (8) The Zonal master plan shall regulate the development in the Eco-sensitive

 Zone so as to meet the requirement of local people without affecting the
 rights and privileges of the bona-fide residents and also ensure eco
 friendly development for their livelihood security.
- (9) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Ministry of Environment and Forests all new constructions and other developmental activities shall be referred to the Ministry of Environment and Forests by the Monitoring Committee as per sub-para (4) of paragraph 4 of the notification.
- (10) The Zonal master plan shall encourage development of walking paths for tourism, pilgrimage and local use.
- (11) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.
- (12) No change of land use from green uses such as horticulture areas, agriculture, tea gardens, parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan. However, to meet the residential needs of the local residents due to the natural growth of existing local population, strictly limited conversion of agricultural lands shall be permitted, with the prior approval of the Central Government on the recommendation of the State Government.

- (13) All the human habitation areas with population of 5000 and above shall have Area Development Plan and shall be prepared under the guidance of local self Government.
- (14) There shall be no consequential reduction in Green area such as forest area, agricultural area, etc.
- (15) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

(16) Development and protection of hill slopes:

- (i) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where development shall not be permitted;
- (ii) no development shall be undertaken in areas having a steep slope or areas which fall in fault or hazard zones or areas falling on the spring lines and first order streams or slopes with a high degree of erosion as identified by the State Government on the basis of available scientific evidence;
- (iii) no development on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
- (iv) Tourist resorts and commercial complexes shall be located in areas with surplus water and electricity, so as not to affect the rights of existing users without their prior consultation.
- (v) The places in the Eco-sensitive Zone where cutting of hills causes ecological damage and slope instability in adjacent areas, such

cuttings shall be undertaken with appropriate measures to avoid such samages.

Explanation:- In this notification, "steep hill slope" means a hill slope with a gradient of 20 degrees or more

(17) Natural Springs.- the catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas;

(18) Tourism.-

- (i) The tourism activities shall be as per the Tourism Master Plan to be prepared by the Department of Tourism of the Uttarakhand State Government.
- (ii) The Tourism Master Plan shall also form a component of the Zonal Master Plan and shall be based on a detailed Carrying Capacity Study of the Eco-sensitive Zone, which may be carried out by the State Government.
- (iii) All new tourism activities, development for tourism or expansion of existing tourism activities shall be permitted only within the parameters of this Tourism Master Plan.
- (iv) The Carrying Capacity Study shall be carried out based on the existing infrastructure and shall not be based on future projections of any project that requires environmental or forest clearance.

- (v) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the Monitoring Committee only after a detailed examination and shall be subject to the guidelines laid down by the State Government and the Central Government in this regard.
- (19) Hill Roads.- following guidelines shall be framed for the construction and maintenance of hill roads and incorporated in the Zonal Master Plan; namely:-
 - (i) for construction of any road including untarred in the Eco-sensitive Zone
 of more than 5 km length (including the extension or widening of
 existing roads);
 - (ii)provision shall be made in the design of the road for treatment of hill slope instabilities resulting from road cutting cross drainage works and culverts using bio-engineering and other appropriate techniques and by including the cost of such measures in the cost estimate of the proposed road;
 - the debris shall not be dumped down the khud or slopes but shall be subsumed in the construction of roads and the provision shall also be made for disposal of unused debris in appropriate manner at suitable and identified locations so as not to affect the ecology of the area adversely and the debris shall be treated and landscaped using bio-engineering and other appropriate techniques and the cost of such measures shall be included in the cost estimate of the proposed road;

4

- (iv) all roads shall be provided with adequate number of road side drains and these drains shall be kept free from blockage for runoff disposals and this run off from the road side drainage shall be connected with the natural drainage system in the area;
- (v) alignment shall be selected so as to minimise loss of vegetal cover;
- (vi) appropriate design standards shall be followed while designing the roads including mass balancing of cut and fill and avoidance of unnecessary cutting.
- (vii) Notice shall be given about all fault Zones and land slide zones along the roads indicating the beginning and end of such areas.
- sensitive Zone shall be identified, particularly scenic beauty, confluence points of river, water falls, pools, springs, gorges, groves, caves, open areas, wooded areas, points, walks, rides, bridle paths etc. and plans for their conservation in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan. All the gene pool reserve areas in the Eco-sensitive Zone shall be preserved. The State Government shall draw up proper plan for their protection and conservation within one year from the date of publication of this Notification. These plans shall form part of the Zonal Master Plan. Guidelines and regulations shall be drawn up by the State Government to regulate building and other activities around the heritage structures so that the special character and distinct ambience of the heritage site and area are maintained.

Man-made Heritage.— Buildings, structures, artefacts, temples, streets, areas and precincts of historical or architectural or aesthetical or cultural or environmental significance shall be indentified and plans for their conservation, shall be prepared within one year from the date of publication of this Notification and incorporated in the Zonal Master Plan. Guidelines and regulations shall be drawn up by the State Government to regulate building and other activities around the heritage structures or sites so that the special character and distinct ambience of the heritage structure or site and area are maintained.

3. Activities to be prohibited, regulated or permitted within the Eco-sensitive Zone:

- (a) Prohibited activities in the Eco-sensitive Zone: The following activities shall be prohibited within the Eco-sensitive Zone:
 - (i) River Valley projects: Setting up of new hydro-electric power plants (dams, tunneling, and construction of reservoir) and expansion of existing plants on the river Bhagirathi and all its tributaries from Gaumukh to Uttarkashi except micro or mini hydel power projects, which would serve the energy needs of the local communities, subject to consent of the gram sabha and all other requisite clearances;
 - (ii) abstraction of river water for any new industrial purposes;
 - (iii) Mining of Minerals and stone quarrying and crushing: all types of mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing except for the domestic needs of bona fide local residents. The limited mining,

stone quarrying and crushing shall be based on site evaluation, provided that such activities are not done on existing steep hill slopes or areas with high degree of erosion, spring lines, ground water recharge areas. The Monitoring Committee shall be the authority to grant such special permission.

- Note: bona fide local residents means someone who is residing in that area for an uninterrupted period and who is on the electoral roll as on date of this Notification, together with his minor children.
- (iv) Commercial felling of trees: Commercial felling of trees and setting up of any wood based industry in the Eco-sensitive Zone, except local activities and livelihoods which include wood collection, cottage industry like bamboo basket subject to consent of the gram sabha and all other requisite clearances.
- (v) Setting up of saw mills.
- (vi) Commercial use of firewood.
- (vii) Polluting Industries: Any new highly polluting industries and expansion of existing such industries;
- (viii) Sewage and industrial effluents: Discharge of untreated sewage and industrial effluents. However, treated sewage and industrial effluents meeting the water quality standard shall be permitted;
- (ix) Use of plastic carry bags: Use of plastic bags in shops, commercial establishments, tourist spots etc. and manufacturers, wholesalers, distributors, retailers etc., selling products in non-biodegradable containers

- shall implement a scheme for the buy back and recycling of their containers and/ or packaging.
- (x) Hazardous waste processing units: The industries processing the hazardous waste as provided in the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989 as amended from time to time.
- (b) Regulated activities in the Eco-sensitive Zone. The following activities shall be regulated in the Eco-sensitive Zone as per the prevalent acts and rules.
- (i) Water.- (1) the extraction of ground water shall be permitted only for the agricultural and domestic consumption of the bona fide occupier of the plot and the sale of ground water shall not be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board; (2) all steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture;
- (ii) Trees.- There shall be no felling of trees either on forest, Government, revenue or private lands, without the prior permission of the State Government in case of forest land, and the respective District Collector in case of Government, revenue and private land, granted in such manner as may be laid down by the State Government.
- (iii) Defense installations and any other infrastructure development related to national , security.
- (iv) The plantation of pine trees in the Eco-sensitive Zone.
- (v) Introduction of exotic species
- (vi) Establishments of hotels and resorts.
- (vii) Erection of electric cables.
 4666 GI/12-5

- (viii) Drastic change of agricultural systems.
- (ix) Sign boards and hordings.
- (x) Noise pollution.- the Environment Department or the State Forest Department,

 Uttarakhand shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the
 control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone; as per the provisions of the Air

 (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
- (xi) Air Pollution.-The Environment Department or the State Forest Department,

 Uttarakhand shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the
 control of air pollution in the Eco-sensitive Zone as per the provisions of the Air

 (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
- (xii) Discharge of effluents.- the treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;
- (xiii) Hydro-electric power plants.- The existing hydro-electric power projects shall continue to operate with strict environmental compliance and social audit.
- (xiv) Solid Wastes.- (1) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling)

 Rules, 2000 issued by the central Government vide notification number S.O. 908

 (E), dated the 25th September 2000 and amended from time to time.
 - (2) The Monitoring Committee shall indentify sites for disposal of solid wastes and its constructions as per the provisions of the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989 issued by the Central Government vide Notification No. S.O. 594(E), dated the 28th July, 1989 and amended from time to time.

- (3) The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (4) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (5) The inorganic material may be disposed off in an environmentally acceptable manner at identified sites;
- (xv) Bio-medical Waste.- the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 issued by the Central Government vide Notification No. S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 and amended from time to time.
- (xvi) Vehicular Traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated and specific provisions shall be laid down in the Zonal Master Plan. Pending the preparation of the Zonal master plan and its approval by the Ministry of Environment and Forests, the Monitoring Committee shall have powers to regulate traffic within the Eco-sensitive Zone.
- (xvii) Trekking between Gangotri and Gaumukh.
- (c) Eco-friendly activities in the Eco-sensitive Zone. The following activities shall be promoted in the Eco-sensitive Zone:
 - (i) Rain Water harvesting.
 - (ii) Organic farming.
 - (iii) Green technology.
 - (iv) Walking tourism.
 - (v) Micro hydel projects for local use.

- (vi) Solar energy for local use.
- (vii) Local bio-resource based industry.

4. Monitoring Committee.-

- (1) A committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification is hereby constituted, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
- (2) The Monitoring Committee shall consist of (a) not more than ten members. (b) the Chairperson of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-
 - (i) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India;
 - (ii) two representatives of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India;
 - (iii) Member Secretary, Environment Protection and Pollution Control Board, Uttarakhand;
 - (iv) senior Town Planner of the area;
 - (v) the Chief Conservator of Forests; Garhwal
 - (vi) the representative of State Irrigation Department;
 - (vii) one subject expert in the field of environment and ecology;

(viii) the District Magistrate, Uttarkashi - Member Secretary.


- (3) The meeting of the Monitoring Committee shall be convened quarterly.
- (4) The activities requiring prior permission or environmental clearance shall be referred to the Ministry of Environment and Forests, which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environment Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2006 as amended from time to time.
- (5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) For non-compliance of the provisions of this notification, the Chairperson or Member Secretary of Monitoring Committee shall be the competent authority to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- (7). The Monitoring Committee shall submit its annual action taken report by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Ministry shall give its directions from time to time for effective discharge of the functions by the Monitoring Committee.
- (8) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

[F. No. 25/3/2010-RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone showing sub-basin boundaries, Govind and Gangotri National Parks boundaries, important places, major tributaries of Bhagirathi river, and latitude-



Annexure II

Locations of Villages in Eco-sensitive Zone, district Uttarkashi, Uttarakhand.

C NI-	17:11	Elevation			
S.No.		(m)	Area (ha)	Latitude	Longitude
1.	Agoda	2428	214.09	30° 51′ 13.2"	78° 29′ 45.6"
2	Aleth	1785	99.59	30° 41′ 12"	78° 29′ 16.2"
3.	Bagori	2762	83.98	31° 2′ 51.6"	78° 45 7.2"
4.	Bagyal Gaon	1558	91.85	30° 44′ 30.6"	78° 26′ 37.2"
5.	Bandrani	1599	61.79	30° 48′ 39"	78° 37′ 9"
6	Barsu	2154	144.6	30° 50′ 51.6"	78° 36′ 45"
7.	Bayana	2003	133.99	30° 44′ 13.8"	78° 33′ 51"
8.	Bhangeli	2016	160.37	30° 55′ 15"	78° 40′ 46.8"
9	Bhancoli	2155	213.93	30° 50′ 54"	78° 28′ 22.8″
10	Bhatwari	1649	327.28	30° 47′ 51.6"	
11.	Bhela Tipri	1639	63.18	30° 46′ 55.8"	78° 37′ 9.6"
12.	Bhukki	2436	96.52	30° 51′ 55.8"	78° 37′ 19.2"
13.	Bonga	1327	100.05	30° 42′ 39"	78° 40′ 1.2"
14.	Bongari	1694	54.03	30° 42′ 35.4"	78° 26′ 45"
15.	Dandalka	2413	92.06		78° 28′ 47.4"
16.	Dansra	2640	68.99	30° 51′ 4.2"	78° 29′ 2.4"
17.	Dhanpur	1833	113.7	30° 51′ 22.2"	78° 28′ 34.8"
18.	Dharali	2485	99.98	30° 41′ 24.6″	78° 28′ 32.4"
19.	Dhwari	1799	94.33	31° 2′ 34.2"	78° 46′ 49.8"
20.	Didsari	1555	173.11	30° 47′ 49.2"	78° 36′ 32.4"
21.	Dovah	1744	305.77	30° 44′ 51.6"	78° 33′ 29.4"
22.	Gajoli	1720		30° 41′ 33"	78° 27′ 34.2"
23.	Gangotri	3008	126.67	30° 50′ 31.8"	78° 26′ 52.2"
24.	Gawana	1316	71.81	30° 59′ 41.4"	78° 56′ 18"
25.	Gorshali	1962	131.94	30° 45′ 38.4"	78° 28′ 10.2"
26.	Gyanja	1997	183.29	30° 47′ 13.8"	78° 36′ 6.6"
27.	Hinna		93.6	30° 45′ 21"	78° 25′ 10.2"
28.	Hurri	1455	256.56	30° 44′ 36.6"	78° 30′ 41.4"
29.	Jadung	2453	140.49	30° 54′ 4.2"	78° 41′ 19.2"
30. i	Jakhol	4373	72	31° 9′ 33.6"	79° 2′ 25.8"
1.	Jamak	1927	101.78	30° 46′ 13.2"	78° 34′ 36.6"
2.		1428	203.4	30° 44′ 10.8"	78° 31′ 60"
$\frac{2}{3}$.	Jaspur	2649	134.58	30° 43′ 52.8"	78° 27′ 21"
٠	Jhala	2459	66.05	31° 2′ 2.4"	78° 42′ 58.8"

40	THE C	JAZETTE OF	INDIA LATRA		
	1. 1	2224	228.71	30° 45′ 10.2"	78° 40′ 3.6"
34.	Journ	1718	54.53	30° 46′ 44. 4 "	78° 35′ 59.4"
35.	Jokani	1423	217.91	30° 44′ 4.8"	78° 26′ 28.2"
36.	Joshiyara	1993	85.78	30° 42′ 24.6"	78° 32′ 25.8"
37.	Kamar	1779	130.42	30° 45′ 7.8"	78° 32′ 23.4"
38.	Kanath	1764	60.91	30° 42′ 21"	78° 28′ 55.2"
39.	Kankrari	1725	154.5	30° 41′ 28.2"	78° 30′ 0.6"
40	Kishanpur	1454	162.52	30° 43′ 0.6"	78° 25′ 52.2"
41	Kotiyal Gaon	1466	77.69	30° 46′ 11.4"	78° 35′ 58.8"
42.	Kumalti	2060	143.4	30° 51′ 27"	78° 38′ 22.2"
43.	Kunjan	1804	59.23	30° 42′ 48.6"	78° 28′ 46.8"
44	Kuroli		149.4	30° 49′ 25.2"	78° 37′ 31.8"
45.	Kyark	2007	117.9	30° 43′ 27.6"	78° 26′ 25.8"
46.	Ladari		163.08	30° 46′ 34.8"	78° 36′ 24"
47.	Lata	1536	96.97	30° 47′ 24"	78° 36′ 42.6"
48.	Malla	1727	139.95	30° 44′ 17.4"	78° 27′ 31.8"
49.	Mando	1220	95.63	30° 44′ 40.8"	78° 32′ 25.8"
50.	Maneri	1519	167.52	30° 41′ 50.4"	78° 29′ 1.2"
51.	Manpur	1578	83.52	30° 42′ 49.8"	78° 27′ 57.6"
52.	Mastari	1705	213.31	31° 3′ 2.4"	78° 47′ 25.2"
53.	Mukhawa	2925	290.44	30° 46′ 13.8"	78° 27′ 51"
54.	Nalda Urph Bodhhar	1672	72.86	30° 48′ 18"	78° 36′ 10.8"
55.	Natin	2035	123.19	30° 51′ 33"	78° 26′ 54"
56.	Naugaon	2075	67.24	31° 5′ 36"	79° 0′ 51"
57.	Nalang	4254	290.7	30° 44′ 60"	78° 29′ 18"
58.	Netala	1277	153.97	30° 43′ 55.2"	78° 28′ 11.4"
59.	Nirakot	1615		30° 47′ 42"	78° 24′ 31.8"
60.	Nesmor	2253	113.55	30° 45′ 12.6"	78° 33′ 3.6"
61.	Ongee	1538	3.88	30° 47′ 55.2"	78° 35′ 46.2"
62.	Pahi	2331		30° 50′ 27"	78° 37′ 34.2"
63.	Pala Maradi	1727	304.37 80.93	30° 44′ 50.4"	78° 26′ 53.4"
64.	Pata	1338		30° 46′ 8.4"	78° 40′ 2.4"
65.	Pilang	2040	122.42	31° 2′ 25.8"	78° 42′ 51.6"
66.	Purali	2460	155.07	30° 49′ 9.6"	78° 36′ 55.2"
67.	Raithal	1720		30° 45′ 44.4"	78° 25′ 8.4"
68.	Sald Urph Maja Gaon		118.94	30° 46′ 1.2"	78° 35′ 14.4"
69.	Sanj	1579	176.77	30° 50′ 36"	78° 38′ 15.6"
70.	Salang	1794	158.21	30° 44′ 45"	78° 35′ 42"
71.	Salu	1864	89.75	30° 44′ 42"	78° 26′ 10.8"
72.	Sangrali	1812	51.26	30° 42′ 0.6"	78° 28′ 33.6"
73.	Sara	1424	63.82	30° 42′ 0.0 30° 42′ 22.2"	78° 27′ 46.2"
74.	Sarag	1328	61.68	30 4Z ZZ.Z	

<u>75.</u>	Sari	1909	72.99	30° 45′ 25.2"	78° 36′ 14.4"
76.	Saura	1467	150.67	30° 45′ 42.6"	78° 35′ 45"
<u>77. </u>	Seku	1905	217.58	30° 50′ 10.8"	78° 27′ 45"
<u>78.</u>	Silla	1766	111.6	30° 46′ 13.8"	78° 38′ 22.8″
<u>79. </u>	Silyan	1509	55.47	30° 43′ 37.8"	78° 27′ 33"
80	Siror	1363	268.62	30° 44′ 49.8"	78° 28′ 42.6"
81.	Sukki	264?	105.98	31° 0′ 39"	78° 42′ 44.4"
82.	Sungar	1993	62.88	30° 53′ 43.2"	78° 40′ 44.4"
<u>83.</u>	Syawa	2145	88.25	30° 43′ 58.2"	78° 35′ 5.4"
84.	Thalan	1481	87.34	30° 42′ 13.8"	78° 28′ 7.8"
<u>85. </u>	Tehar	1884	150.24	30° 51′ 59.4"	78° 39′ 7.8"
<u>86.</u>	Tiloth	1099	60.4	30° 43′ 43.2"	78° 26′ 52.2"
<u>87. </u>	Uttarkashi	1241	#N/A	30° 44′ 00.92"	
88.	Uttron	1290	131.7	30° 47′ 20.4"	78° 26′ 21.41" 78° 26′ 46.8"